न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 83/201 8 **दायरा दिनांक : 12.06.2018**

उनवान

कालू लाल आत्मज मथुरा लाल, जाति मीणा, निवासी गादियाजयमल कायम मुकामान मथुरा लाल आत्मज जीवन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

ए– किशना आत्मज हीरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1– मन्ना लाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– धन्ना लाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– जगदीश आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– पाना बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– कल्याणी बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– गंगाराम आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– बाबूलाल आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– कल्याण आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– केसर पुत्री शंकर लाल जोजे मन्ना लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10– केला बाई पुत्री शंकर लाल जोजे ग्यारसीराम, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

11– कजोड़ी लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

12– दांखा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

13– रामचन्द्र आत्मज भैरू, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

14– लीलाबाई पुत्री नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

15– मोसमीबाई पुत्री नन्दा आयु 10 साल नाबालिग जरिये वली एवं नेक्सफ्रेन्ड माता कमला बाई बेवा नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

16– कंचनबाई पुत्री औकार जोजे कालू, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

17– कमलाबाई बेवा नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

18– बाबू लाल आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

19– फूलचन्द आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

20– मन्ना लाल आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

21– घनश्याम आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

22– परमानन्द आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

23– गेन्दी बाई बेवा ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

24– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 84/201 8 **दायरा दिनांक : 12.06.2018**

उनवान

कालू लाल आत्मज मथुरा लाल, जाति मीणा, निवासी गादियाजयमल कायम मुकामान मथुरा लाल आत्मज जीवन, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

ए– किशना आत्मज हीरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1– मन्ना लाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– धन्ना लाल आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– जगदीश आत्मज किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– पाना बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– कल्याणी बाई पुत्री किशना, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– गंगाराम आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– बाबूलाल आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– कल्याण आत्मज शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– केसर पुत्री शंकर लाल जोजे मन्ना लाल, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10– केला बाई पुत्री शंकर लाल जोजे ग्यारसीराम, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

11– कजोड़ी लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

12– दांखा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

13– रामचन्द्र आत्मज भैरू, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

14– लीलाबाई पुत्री नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

15– मोसमीबाई पुत्री नन्दा आयु 10 साल नाबालिग जरिये वली एवं नेक्सफ्रेन्ड माता कमला बाई बेवा नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

16– कंचनबाई पुत्री औकार जोजे कालू, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

17– कमलाबाई बेवा नन्दा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

18– बाबू लाल आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

19– फूलचन्द आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

20– मन्ना लाल आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

21– घनश्याम आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

22– परमानन्द आत्मज ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

23– गेन्दी बाई बेवा ईसरा, जाति मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

24– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 88/2018 **दायरा दिनांक : 19.06.2018**

उनवान

किशना, जाति मीणा, निवासी ग्राम पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (मृतक) कायम मुकामानः–

1– मन्नालाल वल्द किशना, जाति मीणा, निवासी ग्राम पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– धन्नालाल वल्द किशना, जाति मीणा, निवासी ग्राम पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– जगदीश वल्द किशना, जाति मीणा, निवासी ग्राम पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– पाना बाई पुत्री किशना, जाति मीना, निवासी ग्राम थरोल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– कल्याण बाई पुत्री किशना, जाति मीना, निवासी ग्राम थरोल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गंगाराम वल्द शंकर लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक

2– बाबूलाल आत्मज शंकर लाल, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– कल्याण आत्मज शंकर लाल, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— केसर पुत्री शंकर लाल जोजे ग्यारसीराम, जाति मीना, निवासी रामखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— केला बाई पुत्री शंकर लाल जोजे मन्नालाल, जाति मीना, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6— कजोड़ी लाल आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7— दांखा बाई बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8— रामचन्द्र आत्मज भैरू, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9— लीलाबाई पुत्री नन्दा, जोजे मंशाराम जाति मीना, निवासी हरिपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

10— मोसमीबाई पुत्री नन्दा नाबालिग जरिये माता कमला बाई बेवा नन्दा, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

11— कंचनबाई पुत्री औकार जोजे कालू, जाति मीना, निवासी ग्राम उगेणी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक

12— कमलाबाई बेवा नन्दा, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

13— बाबू लाल आत्मज ईसरा, मीना, निवासी ग्राम सेमली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

14— फूलचन्द आत्मज ईसरा, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

15— मन्ना लाल आत्मज ईसरा, मीना, निवासी ग्राम सेमली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

16— घनश्याम आत्मज ईसरा, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

17— परमानन्द आत्मज ईसरा, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

18– मथुरालाल वल्द जीवन, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :–

18/1– कालू लाल वल्द मथुरालाल, जाति मीना, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

19– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

20– भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) अकलेरा, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा, श्री प्रवीण कुमार वर्मा, सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए.के.जैन एवं श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.01.2019

ये तीनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण एवं अधीनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 16/2010 एवं प्रकरण संख्या 74/दावा/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 83/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 16/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है । अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प अमृतखेड़ी में जनसुनवाई के दौरान किया है । ऐसे प्रकण में पक्षकारों की सहमति या राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है । वाद का निर्णय सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत दस्तावेज के आधार पर किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपील संख्या 84/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 74/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है । अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि अपीलांट को सबूत, सुनवाई का समुचित मौका नहीं दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में वाद में केवल दो पक्षकारान प्रतिवादी नम्बर 13 व अपीलांट की उपस्थिति में ही बिना अन्य पक्षकारान को सुने वाद का निस्तारण किया है, अन्य पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई तथा पक्षकारान के अधिवक्ता को भी सूचित नहीं किया । निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व शिविर में नियमों का उल्लंघन कर निर्णय दिया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपील संख्या 88/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 74/2009 निर्णय

व डिक्री दिनांक 14.05.2.018 उनवान किशना बनाम गंगाराम के विरूद्ध पेश की गई है । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 88, 91, 48, 49 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट खसरा नम्बर 883 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 882 ककी पूर्व तरफ की 18 बिस्वा वाके ग्राम गादिया जयमल के मामले में वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलांट ने प्रतिवादी के पूर्वजों से खसरा नम्बर 875/268 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा आराजी 75/— रूपये में दिनांक 11.06. 1958 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और इस आधार पर वादग्रस्त आराजी खाते दर्ज कर दी गई थी परन्तु विक्रेता ने सहवन से खसरा नम्बर 883 रकबा 4 बीघा और 882 रकबा 0.18 बिस्वा पर अन्दाज से कब्जा दे दिया था । खरीदशुदा आराजी के बाद सैटलमेंट आराजी खसरा नम्बर 882 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कायम हुए हैं । यह अपीलांट के खाते दर्ज चली आ रही है परन्तु कब्जा अपीलांट का खसरा नबर 883 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 882 रकबा 18 बिस्वा पर है । क्रेता व विक्रेता ने अपने कब्जे की आराजी विकसित कर ली है, परन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 13 लगायत 18 की सहमति के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज कर दिया । सहमति के आधार पर रेस्पोडेंट की आराजी पर अपीलांट को खातेदार घोषित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं थी, दावा डिक्री हो जाता तो रेस्पोडेंट क्रम 13 लगायत 18 को शामलाती खाते की 35 बीघा 1 बिस्वा आराजी के 1/6 हिस्से पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये एवं वाद संख्या 74/2009 स्वीकार फरमाया जावे ।

तीनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमारे द्वारा उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं सभी पक्षकारों के वकीलों द्वारा यह सहमति दर्ज करवायी गई है कि उपरोक्त समस्त पत्रावली में पक्षकारान एवं आराजी समान है । अतः एक साथ निर्णीत किया जाना उचित होगा । किशन वल्द गंगाराम पत्रावली में वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई तथा यह कथन किया गया कि अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पोडेंट के पूर्वजों के खाते से खसरा नम्बर 875/268 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा आराजी 75/— रूपये में सन् 1958 में क्रय की गई थी उसी के आधार पर जरिये नामान्तरकरण उपरोक्त आराजी अपीलांट के खाते दर्ज कर दी गई परन्तु कब्जा खसरा नम्बर 883 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 882 रकबा 18 बिस्वा पर है और तब से अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । चूंकि विक्रेता एवं क्रेता ने आराजी को अपने पक्ष में विकसित कर रखी है । अतः उपरोक्तानुसार ही अपीलांट के खाते में चली आ रही खसरा नम्बर 882 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 883 रकबा 4 बीघे का खातेदार अपीलांट को घोषित किया जावे एवं खसरा नम्बर 882 रकबा 4 बीघा आराजी का खातेदार रेस्पोडेंट को घोषित किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 13 से 18 ने कथन किया कि यदि अपीलांट को उपरोक्तानुसार आराजी का खातेदार घोषित कर दिया जाता है तो शेष आराजी में से 1/6 हिस्से का खातेदार उनको घोषित कर दिया जाये जिस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है अर्थात् आराजी के बदलने में अपीलांट व रेस्पोडेंट के अभिभाषाक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेज एक्जीविट पी. 1 जो जमाबंदी सम्वत 2062—65 है जिसमें उपरोक्त विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंट के शामलाती खाते में दर्ज है । खतौनी सम्वत 2062—65 के अनुसार रेस्पोडेंट उक्त आराजी के 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Exchange की तनकी विरूद्ध अपीलांट तय की गई है क्योंकि प्रतिवादीगण की

उक्त Exchange में सहमति नहीं थी । इस सम्बन्ध में अपीलांट के वकील द्वारा आर आर डी 2018 हाई कोर्ट पेज 51 से 55 भी पेश की गई है एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियम 53 के प्रावधान और नियम 20 के प्रावधानों से अवगत करवाया जिसके अनुसार नियम 20 (घ) के अनुसार प्लाट जो कि आसामी के अलग–अलग कब्जे में है उनको आसामी को आवंटित कर दी जाये जब तक कि उक्त आराजी उनके हिस्से से अधिक न हो तथा वकील रेस्पोडेंट द्वारा भी इस बाबत् न्यायालय में वक्त बहस सहमति दर्ज कराई है कि यदि खसरा नम्बर 882 का 4 बीघा व खसरा नम्बर 883 का 18 बिस्वा जिस पर अपीलांट का कब्जा है उनको दे दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार शेष आराजी में से कुल आराजी का 1/6 हिस्सा रेस्पोडेंट नम्बर 13 लगायत 18 को दे दिया जावे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों अपीलें अपील संख्या 83/2018, 84/2018 एवं 88/2018 के वकील अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस, सहमति, दस्तावेज इत्यादि के अध्ययन से यह न्यायालय अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 को अपास्त करता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आराजी का बंटवारा किया जाना सुनिश्चित करें । दोनों पक्षकारों की सुनवायी करें एवं पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा